संख्या—861 / एक—10—2021—33(221) / 2011टीसी—3

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, आजमगढ़, अयोध्या, कासगंज, हाथरस, मुजफ्फरनगर, बदायूँ,शाहजहाँपुर ,पीलीभीत, बुलन्दशहर, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल,शामली, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, बागपत, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सहारनपुर ,ललितपुर ,जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा ,चित्रकूट ,मथुरा ,जौनपुर, गाजीपुर, चन्दौली ,मीरजापुर, सोनभद्र, भदोही ,फिरोजाबाद ,मऊ, बलिया ,मैनपुरी ,महराजगंज, देवरिया ,कुशीनगर, बस्ती ,सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, हापुड़, उन्नाव ,रायबरेली ,सीतापुर, हरदोई,खीरी ,गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती,एटा, सुलतानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर एवं अमेठी।

राजस्व अनुभाग—10 लखनऊः दिनांकः 15 अप्रैल, 2021

विषयः— करोना वायरस के द्वितीय लहर के दृष्टिगत अति आवश्यक मेडिकल कन्ज्यूमेबल तथा मेडिकल इक्विपमेंट आदि कय करने के लिये धनावंटन के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि करोना वायरस के द्वितीय लहर के दृष्टिगत प्रदेश के उक्त सबसे अधिक प्रभावित जनपदों में कोविड—19 के नियंत्रण हेतु कोविड जांच, सैंपल कलेक्शन, के लिये कन्ज्यूमेबिल्स, चेकिंग, स्कीनिंग, कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग हेतु समस्त व्यवस्थायें, परीक्षण हेतु स्थापित किये जाने वाले अतिरिक्त प्रयोगशाला, कन्जूमेबिल्स एवं टेस्टिग किट, पीपीई किट, थर्मल स्कैनर, एअर प्यूरिफायर, आक्सीजन जनरेशन व स्टोरिग प्लांन्ट, रोगियों हेतु एम्बुलेंस सेवा, कन्टेनमेण्ट जोन, कोविड—19 हास्पिटल, कोविड—19 केअर सेण्टर की स्थापना एवं राजकीय चिकित्सालयों में अति आवश्यक मेडिकल कन्ज्यूमेबिल्स आदि कय करने के लिये निम्नलिखित विवरण तथा शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य आपदा मोचक निधि से वित्तीय वर्ष 2021—22 में रू0 6,50,00,000/— **(रू0 छः करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि अग्रिम रूप से सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृत प्रदान करते हैः—

जनपद का नाम		स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)
1	आगरा	10.00
2	अलीगढ़	10.00
3	मुरादाबाद	10.00
4	आजमगढ़	10.00
5	अयोध्या	10.00
6	कासगंज	10.00
7	हाथरस	10.00
8	मुजफ्फरनगर	10.00
9	बदायूँ	10.00
10	शाहजहाँपुर	10.00
11	पीलीभीत	10.00
12	बुलन्दशहर	10.00
13	रामपुर	10.00
14	बिजनौर	10.00
15	अमरोहा	10.00
16	सम्भल	10.00
17	शामली	10.00

18	कानपुर देहात	10.00
19	इटावा	10.00
20	फर्रुखाबाद	10.00
21	कन्नौज	10.00
22	औरैया	10.00
23	बागपत	10.00
24	फतेहपुर	10.00
25	प्रतापगढ़	10.00
26	कौशाम्बी	10.00
27	सहारनपुर	10.00
28	ललितपुर	10.00
29	जालौन	10.00
30	हमीरपुर	10.00
31	महोबा	10.00
32	बांदा	10.00
33	चित्रकूट	10.00
34	मथुरा	10.00
35	जौनपुर	10.00
36	गाजीपुर	10.00
37	चन्दौली	10.00
38	मीरजापुर	10.00
39	सोनभद्र	10.00
40	भदोही	10.00
41	फिरोजाबाद	10.00
42	मऊ	10.00
43	बलिया	10.00
44	मैनपुरी	10.00
45	महराजगंज	10.00
46	देवरिया	10.00
47	कुशीनगर	10.00
48	बस्ती	10.00
49	सिद्धार्थनगर	10.00
50	संत कबीरनगर	10.00
51	हापुड़	10.00
52	उन्नाव	10.00
53	रायबरेली	10.00
54	सीतापुर	10.00
55	हरदोई	10.00
56	खीरी	10.00
57	गोण्डा	10.00
58	बहराइच	10.00
59	बलरामपुर	10.00
60	श्रावस्ती	10.00
61	एटा	10.00
62	सुलतानपुर	10.00
63	बाराबंकी	10.00
64	अम्बेडकर नगर	10.00
65	अमेठी	10.00
	योग	**650.00**
		(रू0 छः करोड़ पचास लाख मात्र)

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) **उपरोक्त धनराशि से मात्र वही उपकरण/मेडिकल संबंधी कन्ज्यूमेबिल्स क्रय किये जायें, जो आवश्यक हों तथा जिनकी आपूर्ति स्वास्थ्य विभाग से या तो न हो पा रही हो या पर्याप्त मात्रा में न हो पा रही हो। उपकरणों/मेडिकल संबंधी कन्ज्यूमेबिल्स का क्रय वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर ही किया जाना सुनिश्चित करें। इस धनराशि का उपयोग प्रचार प्रसार के लिये नही किया जायेगा।**

(3) जो भी उपकरण क्रय किये जायेंगे उसकी उपादेयता के सम्बन्ध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। उपकरण इस प्रकार के न हों, जो किसी विशिष्ट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से क्रय किये जा रहें हों। उपकरण सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सहपठित तथा प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार /जेम पोर्टल के अनुसार क्रय किये जायेंगे। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 भी करायी जायेंगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत– 05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–10–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

15/5/21

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या–861(1)/एक–10–2021–33(221)/2011 टीसी–3, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– सचिव , चिकित्सा शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।
4– सचिव , चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
5– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
7– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
9– संबन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
11–वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
12–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।